



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

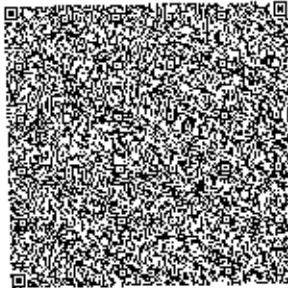


Ranjit Shrivastava  
Branch Manager

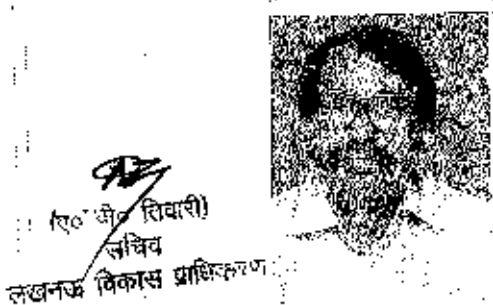
# Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00109004727519L  
Certificate Issued Date : 29-Jul-2013 05:10 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshell01/ LUCKNOW/ UP-LKN  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0100111186739164L  
Purchased by : ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED  
Description of Document : Article 35 Lease  
Property Description : LAND SITUATED AT VILL HARIHARPUR HASANPUR KHEWALI M N GHUSWAL DEVAMAU N MAHJIGAWAN YUSUF NAGAR LKO  
Consideration Price (Rs.) : 26,07,50,043  
(Twenty Six Crore Seven Lakh Fifty Thousand And Forty Three only)  
First Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY  
Second Party : ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED  
Stamp Duty Paid By : ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,33,75,000  
(Two Crore Thirty Three Lakh Seventy Five Thousand only)



Please write or type below this line



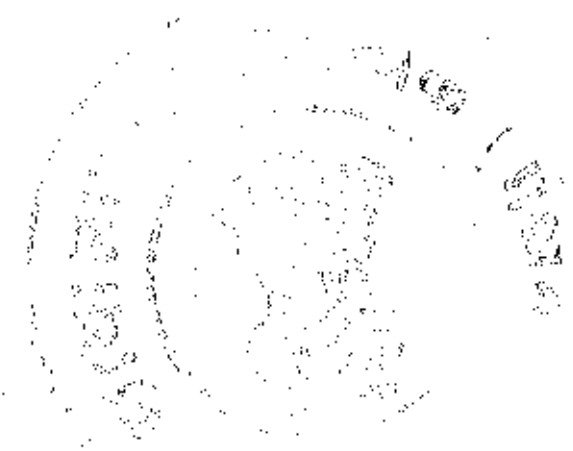
0000000197

### Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shcilupnp.com'. Any discrepancy in the details on the Certificate shall be available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the authenticity is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

100

100



|         |   |                 |
|---------|---|-----------------|
| मालियत  | — | 33,38,80,000 /— |
| स्टाम्प | — | 2,33,75,000 /—  |
| परगना   | — | बिजनौर          |

### पट्टा- विलेख

यह पट्टा सन् 2013 के जुलाई माह के 30<sup>30</sup> वें दिन श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश (जिनको यहां आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष।

तथा

मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० जो कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 115, अंसल भवन 16, कस्तूरबा गॉंधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 के जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिवगोपाल सक्सेना निवासी फर्स्ट फ्लोर, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (जिनको आगे चलकर "पट्टेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

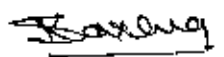
1. चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद-भाव किये बिना सभी के लिये आवास निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है।

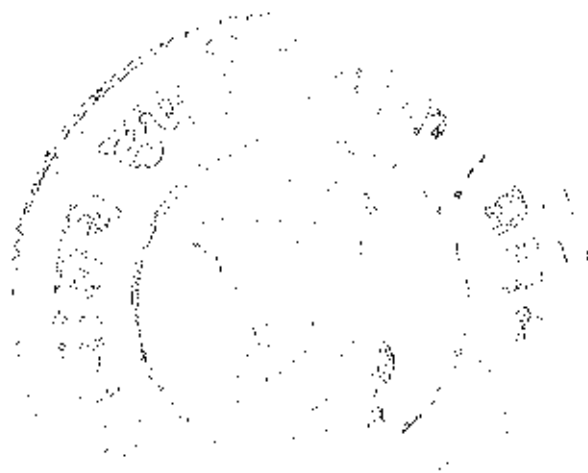
और चूंकि हाईटेक टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश 6087/9-आ-1-2003-34वि०/03 दिनांक 22.11.2003 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतदपश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्राम-देवामऊ परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 2.647 (दो दशमलव छः चार सात) हेक्टेयर व ग्राम-युसुफनगर बगियामऊ परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 13.906 (तेरह दशमलव नौ शून्य छः) हेक्टेयर व ग्राम-निजामपुर मझिगांवा परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.218 (नौ दशमलव दो एक आठ) हेक्टेयर व ग्राम-मुजफ्फरनगर घुसवल परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 27.805 (सत्ताईस दशमलव आठ शून्य पांच) हेक्टेयर व ग्राम-हसनपुर खेवली परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.350 (नौ दशमलव तीन पांच शून्य) हेक्टेयर व ग्राम-हरिहरपुर परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 5.479 (पांच दशमलव चार सात नौ) हेक्टेयर इस प्रकार कुल मिलाकर 68.405 (अड़सठ दशमलव चार शून्य पांच) हेक्टेयर, ग्राम समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1345/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1346/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1340/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1347/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1344/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010 एवं 1343/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1951) की धारा-117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पुनर्गृहीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।

  
(१०/१० तिथारी)  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For the Proprietor & Infrastructure Co

  
Authorized Signatory



अतः शासनादेश सख्या-प्र०स० 474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-78 दिनांक 19.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसविदाओं तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार हाईटेक टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतदपश्चात् "निर्धारित प्रयोजन" कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तान्तरित करने के लिये पट्टादाता सहमत हुये हैं।

3. अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई० का एक्ट संख्या-15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रु०-26,02,37,002/- (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतीस हजार दो रुपये) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालान सं०-जी०-100065, जी०-100057, जी०-100058, जी०-100066, जी०-090047, जी०-100060, जी०-100052, जी०-100067, जी०-100059, जी०-100064, जी०-100056, जी०-100063, जी०-100055 क्रमशः दिनांक-11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10 के माध्यम से विकासकर्ता/पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतद्वारा वह सब भूखण्ड, जिनका विवरण इसकी अनुसूची में में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त "भूमि" कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2013 ई० के जुलाई माह के 30...वें दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जुलाई के पहले सप्ताह में कलेक्टर-लखनऊ के कार्यालय में या पट्टादाता द्वारा समय-समय पर निश्चित स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

और पट्टादाता से पट्टेदार निम्न प्रसंगिदा करता है :-

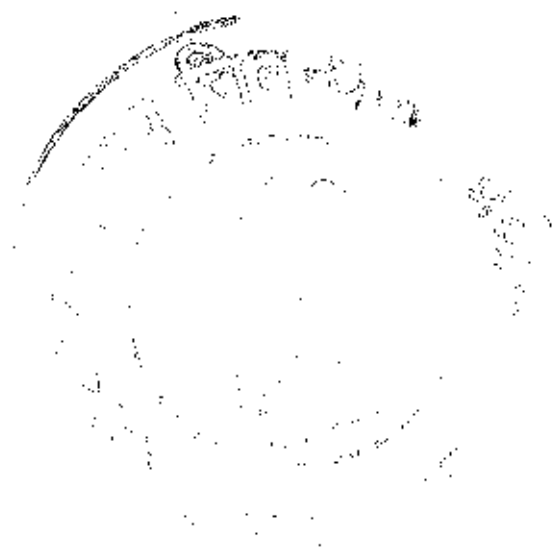
1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टादाता को होगा।
3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शासन/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि बिना कब्जे के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(एठ के तिवारी)  
सचिव  
लखनऊ विभाग प्राधिकरण

*Journal of Management Inquiry* 16(4) 403-416

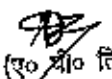
Boysong

**Abstract**

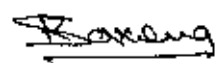


8. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया रू0-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र की दर से रू0-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) की धनराशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात् क्रमशः दिनांक-11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, को क्रमशः चालान संख्या-जी0-100057, जी0-100058, जी0-090047, जी0-100052, जी0-100059, जी0-100056, जी0-100055 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक, राजकीय व्यावसायिक शाखा, लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।
9. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।
10. यह कि पट्टेदार द्वारा वार्षिक किराया समय से न जमा करने अथवा उपरिवर्णित शर्तों में किसी को भंग किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त भूमि का कब्जा राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा पट्टेदार द्वारा किसी प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।
11. यह कि पट्टेदार ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, परिव्ययों तथा निर्धारणों का भुगतान करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित या निर्माण किये जाने वाले भवन अथवा उसके स्वामी या किरायेदार पर उस समय अथवा उसके पश्चात् किसी समय अवधारित, भारित, आरोपित किये जायें।
12. यह कि पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को पट्टेदार द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।
13. यह कि उक्त भूमि विधि के प्रवर्तनवश या किसी अन्य कारण से यहां दी गयी अवधि में हस्तान्तरित हो, पट्टेदार उक्त हस्तान्तरण के दिनांक से एक पंचांग भास के भीतर उक्त हस्तान्तरण की सूचना जिलाधिकारी लखनऊ को देगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक अभिहस्तांकन के पक्षों के नाम और पूरे ब्योरे होंगे तथा उसका पूरा विवरण और उससे प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण होगा और साथ में प्रत्येक अभिहस्तांकन पत्र, डिक्री या आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य लेख जिसका प्रभाव उस हस्तान्तरण पर पड़ता हो देगा और उस सूचना के साथ उक्त लेख जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय में कम से कम 07 (सात) दिन रहेंगे तथा एतद्द्वारा यह प्रसंविदा की जाती है कि इस शर्त का पालन न किये जाने पर पट्टेदार पर दण्ड स्वरूप रुपये, जैसा कि तत्कालीन समय पर राक्षस अधिकारी/पट्टादाता की ओर से नियत किया जावे मात्र का भुगतान करने का दायित्व होगा।
14. यह कि इस विलेख की अवधि समाप्त होने अथवा उसके पहले ही समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि को हटाकर भूमि पट्टादाता को बिल्कुल सही अवस्था में दे देगा।
15. पट्टा निष्पादन का व्यय भार संस्था/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पट्टा निष्पादन के पश्चात् भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा।
16. प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार होगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध है कि विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात् एक माह तक भुगतान न होगा चाहे वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टादाता ने भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को यहां से निकाल सकता है और तब यह हस्तान्तरण बिल्कुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेंगे।

  
(र० जी० तिवारी)  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Andar Provisions & Infrastructure : 4

  
Authorized Signatur





यह कि प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाणपत्र पर जो अन्तिम निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तान्तरित उक्त भूमि की पट्टेदाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को क़य करना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता, पट्टेदार से प्रसंविदा करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात समय-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का नया पट्टा नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियाँ इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न हो और पट्टादाता कोई ऐसे नवीनीकरण स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर पर हो जो उक्त भूमि के सम्बन्ध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढ़ाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख को केवल उन्ही प्रसंविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों का समावेश होगा जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तान्तरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रेतर करार करते हैं कि :-

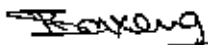
- (क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उक्त भूमि के हस्तान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।
- (घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।

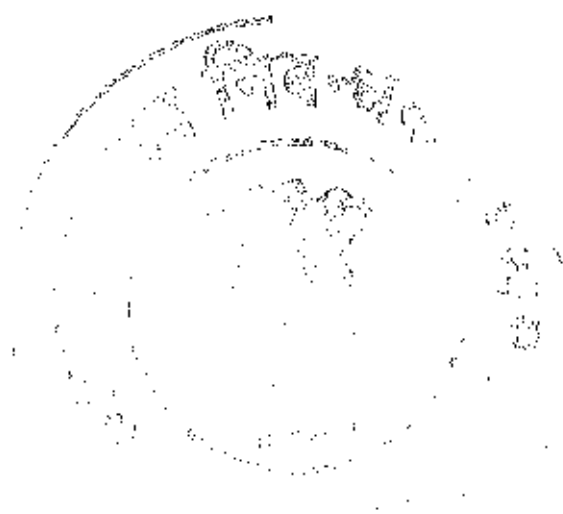
4. भूमि का विवरण निम्नवत है:-

| क्रम सं० | जनपद | तहसील | परगना  | ग्राम  | खसरा/गाटा सं० | क्षेत्रफल हेक्टेयर | विवरण/प्रयोजन                                                  |
|----------|------|-------|--------|--------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | 2    | 3     | 4      | 5      | 6             | 7                  | 8                                                              |
| 1        | लखनऊ | लखनऊ  | बिजनौर | देवामऊ | 7             | 0.018              | आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए लखनऊ विद्युत |

  
(१० पी. पी. तिवारी)  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansari Prepared & Submitted to

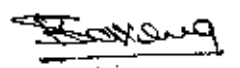
  
Anshu  
Deputy Commissioner



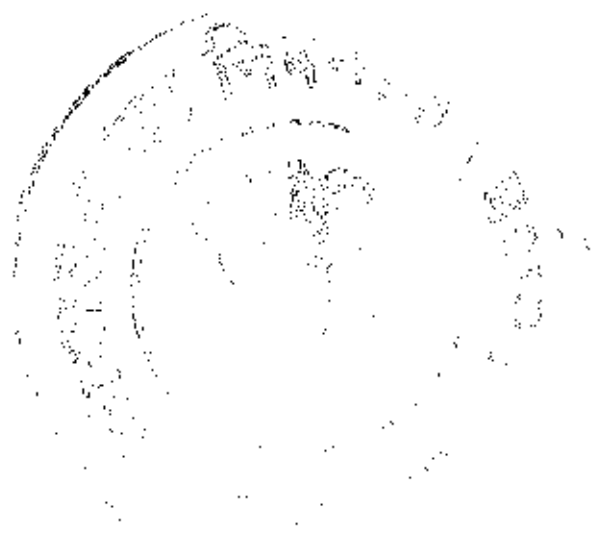
|    |      |      |        |                             |         |       | प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।                                                                |
|----|------|------|--------|-----------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  |      |      |        |                             | 11      | 0.464 |                                                                                                      |
| 3  |      |      |        |                             | 17      | 0.403 |                                                                                                      |
| 4  |      |      |        |                             | 21      | 0.018 |                                                                                                      |
| 5  |      |      |        |                             | 25      | 0.014 |                                                                                                      |
| 6  |      |      |        |                             | 40      | 0.020 |                                                                                                      |
| 7  |      |      |        |                             | 45      | 0.069 |                                                                                                      |
| 8  |      |      |        |                             | 49      | 0.010 |                                                                                                      |
| 9  |      |      |        |                             | 56      | 0.009 |                                                                                                      |
| 10 |      |      |        |                             | 61      | 0.015 |                                                                                                      |
| 11 |      |      |        |                             | 64      | 0.006 |                                                                                                      |
| 12 |      |      |        |                             | 68      | 0.012 |                                                                                                      |
| 13 |      |      |        |                             | 69      | 0.032 |                                                                                                      |
| 14 |      |      |        |                             | 71      | 0.013 |                                                                                                      |
| 15 |      |      |        |                             | 75      | 0.026 |                                                                                                      |
| 16 |      |      |        |                             | 76      | 0.011 |                                                                                                      |
| 17 |      |      |        |                             | 79      | 0.011 |                                                                                                      |
| 18 |      |      |        |                             | 83      | 0.010 |                                                                                                      |
| 19 |      |      |        |                             | 91      | 0.057 |                                                                                                      |
| 20 |      |      |        |                             | 91      | 0.057 |                                                                                                      |
| 21 |      |      |        |                             | 93      | 0.017 |                                                                                                      |
| 22 |      |      |        |                             | 105     | 0.183 |                                                                                                      |
| 23 |      |      |        |                             | 117     | 0.087 |                                                                                                      |
| 24 |      |      |        |                             | 118     | 0.013 |                                                                                                      |
| 25 |      |      |        |                             | 122     | 0.187 |                                                                                                      |
| 26 |      |      |        |                             | 24/246  | 0.885 |                                                                                                      |
|    |      |      |        | कुल योग                     | 28 गाटा | 2.647 |                                                                                                      |
| 1  | लखनऊ | लखनऊ | बिजनौर | यूसुफनगर<br>उर्फ<br>भगियामऊ | 46      | 2.296 | अवारा एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रण पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु। |
| 2  |      |      |        |                             | 75      | 0.039 | उपरोक्तानुसार                                                                                        |
| 3  |      |      |        |                             | 79      | 0.008 | उपरोक्तानुसार                                                                                        |
| 4  |      |      |        |                             | 85      | 0.030 | उपरोक्तानुसार                                                                                        |
| 5  |      |      |        |                             | 88      | 0.044 | उपरोक्तानुसार                                                                                        |
| 6  |      |      |        |                             | 93      | 0.005 | उपरोक्तानुसार                                                                                        |

  
 (ए० पी० सिवारी)  
 सचिव  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

1/11/2023, 11:00 AM, 11/11/2023, 11:00 AM

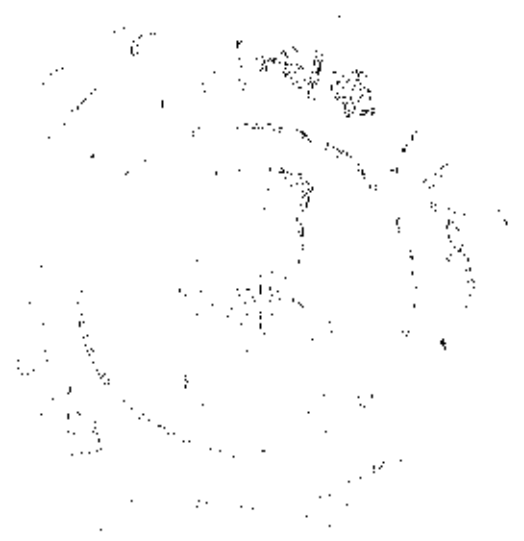
  
 अधिकारी, लखनऊ

100



|    |  |  |  |  |     |       |               |
|----|--|--|--|--|-----|-------|---------------|
| 7  |  |  |  |  | 96  | 0.038 | અપરોક્તાનુસાર |
| 8  |  |  |  |  | 101 | 0.266 | અપરોક્તાનુસાર |
| 9  |  |  |  |  | 108 | 0.033 | અપરોક્તાનુસાર |
| 10 |  |  |  |  | 116 | 0.038 | અપરોક્તાનુસાર |
| 11 |  |  |  |  | 121 | 0.126 | અપરોક્તાનુસાર |
| 12 |  |  |  |  | 122 | 0.014 | અપરોક્તાનુસાર |
| 13 |  |  |  |  | 126 | 0.163 | અપરોક્તાનુસાર |
| 14 |  |  |  |  | 129 | 0.017 | અપરોક્તાનુસાર |
| 15 |  |  |  |  | 130 | 0.040 | અપરોક્તાનુસાર |
| 16 |  |  |  |  | 135 | 0.063 | અપરોક્તાનુસાર |
| 17 |  |  |  |  | 139 | 0.014 | અપરોક્તાનુસાર |
| 18 |  |  |  |  | 141 | 0.041 | અપરોક્તાનુસાર |
| 19 |  |  |  |  | 151 | 0.512 | અપરોક્તાનુસાર |
| 20 |  |  |  |  | 158 | 0.076 | અપરોક્તાનુસાર |
| 21 |  |  |  |  | 158 | 0.019 | અપરોક્તાનુસાર |
| 22 |  |  |  |  | 159 | 0.218 | અપરોક્તાનુસાર |
| 23 |  |  |  |  | 162 | 0.126 | અપરોક્તાનુસાર |
| 24 |  |  |  |  | 163 | 0.076 | અપરોક્તાનુસાર |
| 25 |  |  |  |  | 164 | 0.039 | અપરોક્તાનુસાર |
| 26 |  |  |  |  | 167 | 0.031 | અપરોક્તાનુસાર |
| 27 |  |  |  |  | 171 | 0.190 | અપરોક્તાનુસાર |
| 28 |  |  |  |  | 176 | 0.008 | અપરોક્તાનુસાર |
| 29 |  |  |  |  | 182 | 0.099 | અપરોક્તાનુસાર |
| 30 |  |  |  |  | 189 | 0.126 | અપરોક્તાનુસાર |
| 31 |  |  |  |  | 192 | 0.023 | અપરોક્તાનુસાર |
| 32 |  |  |  |  | 215 | 0.013 | અપરોક્તાનુસાર |
| 33 |  |  |  |  | 218 | 0.231 | અપરોક્તાનુસાર |
| 34 |  |  |  |  | 221 | 0.027 | અપરોક્તાનુસાર |
| 35 |  |  |  |  | 224 | 0.155 | અપરોક્તાનુસાર |
| 37 |  |  |  |  | 241 | 0.075 | અપરોક્તાનુસાર |
| 38 |  |  |  |  | 242 | 0.215 | અપરોક્તાનુસાર |
| 39 |  |  |  |  | 243 | 0.066 | અપરોક્તાનુસાર |
| 40 |  |  |  |  | 244 | 0.139 | અપરોક્તાનુસાર |
| 41 |  |  |  |  | 250 | 0.063 | અપરોક્તાનુસાર |
| 42 |  |  |  |  | 252 | 0.051 | અપરોક્તાનુસાર |

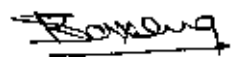
4

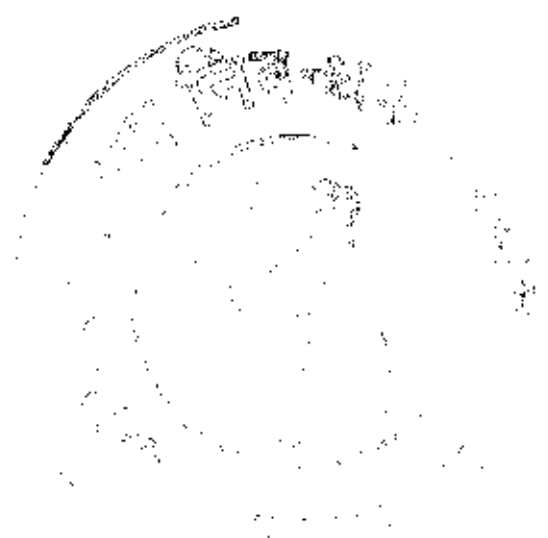


|    |  |  |         |           |        |               |
|----|--|--|---------|-----------|--------|---------------|
| 43 |  |  |         | 254       | 0.152  | उपरोक्तानुसार |
| 44 |  |  |         | 260 स     | 1.468  | उपरोक्तानुसार |
| 45 |  |  |         | 281       | 0.051  | उपरोक्तानुसार |
| 46 |  |  |         | 275       | 0.025  | उपरोक्तानुसार |
| 47 |  |  |         | 282       | 0.028  | उपरोक्तानुसार |
| 48 |  |  |         | 280       | 0.006  | उपरोक्तानुसार |
| 49 |  |  |         | 288       | 0.013  | उपरोक्तानुसार |
| 50 |  |  |         | 290       | 0.033  | उपरोक्तानुसार |
| 51 |  |  |         | 297       | 0.304  | उपरोक्तानुसार |
| 52 |  |  |         | 299       | 0.114  | उपरोक्तानुसार |
| 53 |  |  |         | 300       | 0.076  | उपरोक्तानुसार |
| 54 |  |  |         | 300       | 0.303  | उपरोक्तानुसार |
| 55 |  |  |         | 303       | 0.253  | उपरोक्तानुसार |
| 56 |  |  |         | 316       | 0.366  | उपरोक्तानुसार |
| 57 |  |  |         | 325       | 0.025  | उपरोक्तानुसार |
| 58 |  |  |         | 326       | 0.940  | उपरोक्तानुसार |
| 59 |  |  |         | 335       | 0.019  | उपरोक्तानुसार |
| 60 |  |  |         | 337       | 0.017  | उपरोक्तानुसार |
| 61 |  |  |         | 342       | 0.190  | उपरोक्तानुसार |
| 62 |  |  |         | 347       | 0.051  | उपरोक्तानुसार |
| 63 |  |  |         | 360       | 1.000  |               |
| 64 |  |  |         | 361       | 0.266  | उपरोक्तानुसार |
| 65 |  |  |         | 364       | 0.017  | उपरोक्तानुसार |
| 66 |  |  |         | 365 स     | 0.053  | उपरोक्तानुसार |
| 67 |  |  |         | 365 स     | 0.035  | उपरोक्तानुसार |
| 68 |  |  |         | 367       | 0.126  | उपरोक्तानुसार |
| 69 |  |  |         | 369       | 0.040  | उपरोक्तानुसार |
| 70 |  |  |         | 370       | 0.048  | उपरोक्तानुसार |
| 71 |  |  |         | 372       | 0.405  | उपरोक्तानुसार |
| 72 |  |  |         | 373       | 0.536  | उपरोक्तानुसार |
| 73 |  |  |         | 374       | 0.242  | उपरोक्तानुसार |
| 74 |  |  |         | 379       | 0.062  | उपरोक्तानुसार |
| 75 |  |  |         | 382       | 0.784  | उपरोक्तानुसार |
| 76 |  |  |         | 168 / 387 | 0.005  | उपरोक्तानुसार |
|    |  |  | कुल योग | 76 गाटा   | 13.906 |               |

प्रमाणित  
  
 प्रमाणित

For Assets, Properties & Infrastructure

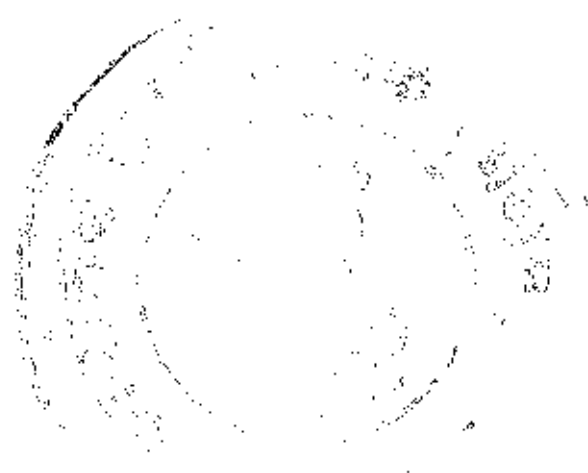
  
 Authenticated Signature



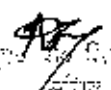


|    |      |      |        |                    |     |       |                                                                                                     |
|----|------|------|--------|--------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | लखनऊ | लखनऊ | बिजनौर | निजामपुर<br>मझिगवा | 3   | 0.065 | आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रण पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईरेक हाउसिंग हेतु। |
| 2  |      |      |        |                    | 7   | 0.017 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 3  |      |      |        |                    | 11  | 0.024 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 4  |      |      |        |                    | 14  | 0.079 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 5  |      |      |        |                    | 20  | 0.102 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 6  |      |      |        |                    | 25  | 0.017 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 7  |      |      |        |                    | 28  | 0.012 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 8  |      |      |        |                    | 32  | 0.022 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 9  |      |      |        |                    | 34  | 0.051 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 10 |      |      |        |                    | 35  | 0.089 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 11 |      |      |        |                    | 36  | 0.266 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 12 |      |      |        |                    | 40  | 0.029 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 13 |      |      |        |                    | 44  | 0.022 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 14 |      |      |        |                    | 45  | 0.047 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 15 |      |      |        |                    | 48  | 0.017 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 16 |      |      |        |                    | 53  | 0.017 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 17 |      |      |        |                    | 56  | 0.172 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 18 |      |      |        |                    | 64  | 0.177 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 19 |      |      |        |                    | 65  | 0.082 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 20 |      |      |        |                    | 69  | 0.073 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 21 |      |      |        |                    | 77  | 0.023 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 22 |      |      |        |                    | 79  | 0.008 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 23 |      |      |        |                    | 84  | 0.658 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 24 |      |      |        |                    | 91  | 0.022 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 25 |      |      |        |                    | 92  | 0.025 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 26 |      |      |        |                    | 93  | 0.028 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 27 |      |      |        |                    | 96  | 0.013 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 28 |      |      |        |                    | 99  | 0.079 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 29 |      |      |        |                    | 101 | 0.014 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 30 |      |      |        |                    | 103 | 0.253 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 31 |      |      |        |                    | 106 | 0.027 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 32 |      |      |        |                    | 109 | 0.013 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |
| 33 |      |      |        |                    | 110 | 0.936 | उपरोक्तानुसार                                                                                       |

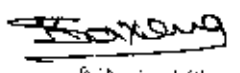
12



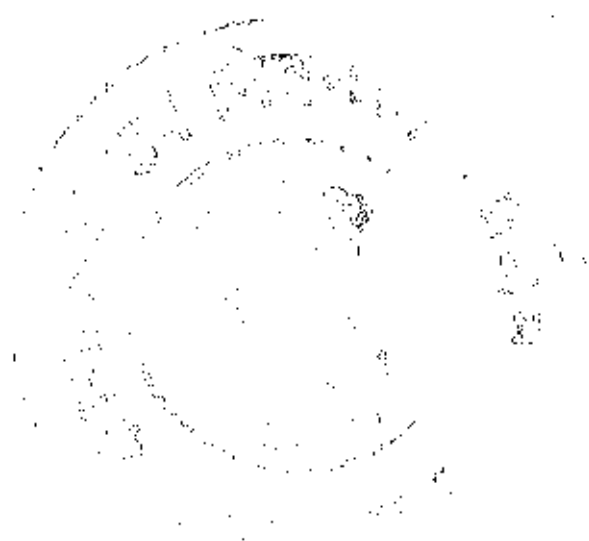
|    |  |  |  |        |       |               |
|----|--|--|--|--------|-------|---------------|
| 34 |  |  |  | 112    | 0.174 | उपरोक्तानुसार |
| 35 |  |  |  | 117    | 0.023 | उपरोक्तानुसार |
| 36 |  |  |  | 118    | 0.923 | उपरोक्तानुसार |
| 37 |  |  |  | 120    | 0.253 | उपरोक्तानुसार |
| 38 |  |  |  | 123 पी | 0.588 | उपरोक्तानुसार |
| 39 |  |  |  | 132    | 0.089 | उपरोक्तानुसार |
| 40 |  |  |  | 135    | 0.023 | उपरोक्तानुसार |
| 41 |  |  |  | 138    | 0.190 | उपरोक्तानुसार |
| 42 |  |  |  | 142    | 0.008 | उपरोक्तानुसार |
| 43 |  |  |  | 146    | 0.011 | उपरोक्तानुसार |
| 44 |  |  |  | 150 पी | 0.076 | उपरोक्तानुसार |
| 45 |  |  |  | 150 पी | 0.057 | उपरोक्तानुसार |
| 46 |  |  |  | 157    | 0.042 | उपरोक्तानुसार |
| 47 |  |  |  | 163    | 0.020 | उपरोक्तानुसार |
| 48 |  |  |  | 166    | 0.029 | उपरोक्तानुसार |
| 49 |  |  |  | 169    | 0.011 | उपरोक्तानुसार |
| 50 |  |  |  | 173    | 0.040 | उपरोक्तानुसार |
| 51 |  |  |  | 176    | 0.304 | उपरोक्तानुसार |
| 52 |  |  |  | 183    | 0.392 | उपरोक्तानुसार |
| 53 |  |  |  | 184    | 1.049 | उपरोक्तानुसार |
| 54 |  |  |  | 188    | 0.023 | उपरोक्तानुसार |
| 55 |  |  |  | 191    | 0.017 | उपरोक्तानुसार |
| 56 |  |  |  | 193    | 0.102 | उपरोक्तानुसार |
| 57 |  |  |  | 202    | 0.043 | उपरोक्तानुसार |
| 58 |  |  |  | 223    | 0.354 | उपरोक्तानुसार |
| 59 |  |  |  | 231    | 0.010 | उपरोक्तानुसार |
| 60 |  |  |  | 235    | 0.095 | उपरोक्तानुसार |
| 61 |  |  |  | 252    | 0.019 | उपरोक्तानुसार |
| 62 |  |  |  | 255    | 0.102 | उपरोक्तानुसार |
| 63 |  |  |  | 262    | 0.063 | उपरोक्तानुसार |
| 64 |  |  |  | 264    | 0.114 | उपरोक्तानुसार |
| 65 |  |  |  | 271    | 0.072 | उपरोक्तानुसार |
| 66 |  |  |  | 274    | 0.022 | उपरोक्तानुसार |
| 67 |  |  |  | 275    | 0.076 | उपरोक्तानुसार |
| 68 |  |  |  | 278    | 0.042 | उपरोक्तानुसार |

  
 स. प्र. वि. (स. प्र. वि.)  
 स. प्र. वि. (स. प्र. वि.)  
 स. प्र. वि. (स. प्र. वि.)

Chief Engineer / Topographic & Infrastructure Unit

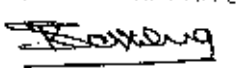
  
 Authorized Signatory

1875

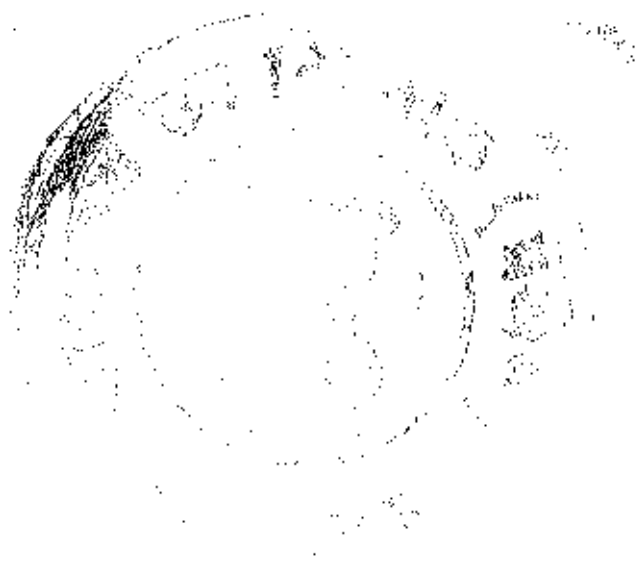


|    |      |      |        |                         |           |       |                                                                                                            |
|----|------|------|--------|-------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 |      |      |        |                         | 292       | 0.053 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 70 |      |      |        |                         | 298       | 0.063 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 71 |      |      |        |                         | 301       | 0.020 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 72 |      |      |        |                         | 306       | 0.081 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 73 |      |      |        |                         | 213 / 496 | 0.016 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
|    |      |      |        | कुल योग                 | 73 गाटा   | 9.218 |                                                                                                            |
| 1  | लखनऊ | लखनऊ | बिजनौर | मुजफ्फर नगर<br>मुख्यालय | 5         | 0.002 | आवाश एवं शहरी नियोजन विभाग के<br>निर्वातन पर सबसे हुए लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप<br>है। |
| 2  |      |      |        |                         | 9         | 3.642 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 3  |      |      |        |                         | 12 स      | 0.114 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 4  |      |      |        |                         | 14        | 0.190 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 5  |      |      |        |                         | 15        | 0.506 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 6  |      |      |        |                         | 23        | 0.023 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 7  |      |      |        |                         | 29        | 0.025 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 8  |      |      |        |                         | 42        | 0.012 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 9  |      |      |        |                         | 43        | 0.036 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 10 |      |      |        |                         | 47        | 0.036 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 11 |      |      |        |                         | 54 स      | 0.074 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 12 |      |      |        |                         | 54 स      | 0.006 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 13 |      |      |        |                         | 58 रा     | 0.696 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 14 |      |      |        |                         | 59        | 0.822 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 15 |      |      |        |                         | 60        | 0.645 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 16 |      |      |        |                         | 67        | 0.008 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 17 |      |      |        |                         | 72        | 0.003 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 18 |      |      |        |                         | 77        | 0.126 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 19 |      |      |        |                         | 82        | 0.051 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 20 |      |      |        |                         | 88        | 0.063 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 21 |      |      |        |                         | 93        | 0.102 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 22 |      |      |        |                         | 110       | 0.036 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 23 |      |      |        |                         | 111       | 0.079 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 24 |      |      |        |                         | 119       | 0.021 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 25 |      |      |        |                         | 122       | 0.011 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 26 |      |      |        |                         | 126       | 0.077 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |
| 27 |      |      |        |                         | 129       | 0.036 | उपरोक्तानुसार                                                                                              |

  
 (S. P. Singh)  
 सचिव  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

  
 सचिव

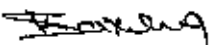
100

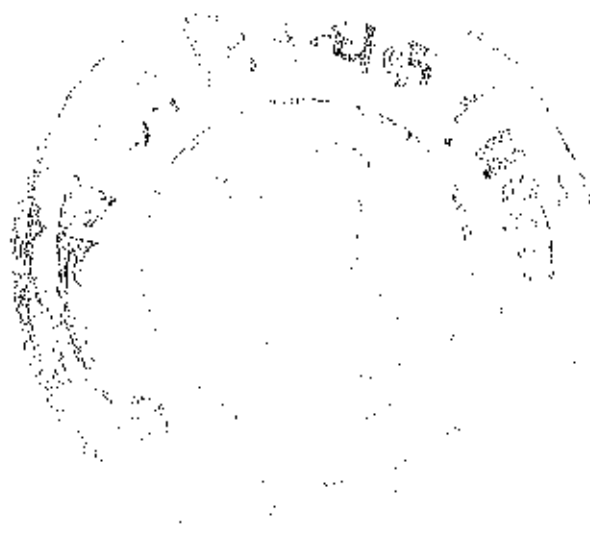


|    |  |  |  |       |       |               |
|----|--|--|--|-------|-------|---------------|
| 28 |  |  |  | 148   | 0.042 | અપરોક્તાનુસાર |
| 29 |  |  |  | 152   | 0.051 | અપરોક્તાનુસાર |
| 30 |  |  |  | 153   | 0.143 | અપરોક્તાનુસાર |
| 31 |  |  |  | 158   | 0.017 | અપરોક્તાનુસાર |
| 32 |  |  |  | 162   | 0.052 | અપરોક્તાનુસાર |
| 33 |  |  |  | 163   | 0.025 | અપરોક્તાનુસાર |
| 34 |  |  |  | 167   | 0.029 | અપરોક્તાનુસાર |
| 35 |  |  |  | 168   | 0.031 | અપરોક્તાનુસાર |
| 36 |  |  |  | 174   | 0.008 | અપરોક્તાનુસાર |
| 37 |  |  |  | 179   | 0.164 | અપરોક્તાનુસાર |
| 38 |  |  |  | 180 સ | 0.063 | અપરોક્તાનુસાર |
| 39 |  |  |  | 182   | 0.164 | અપરોક્તાનુસાર |
| 40 |  |  |  | 191   | 0.033 | અપરોક્તાનુસાર |
| 41 |  |  |  | 196   | 0.017 | અપરોક્તાનુસાર |
| 42 |  |  |  | 201   | 0.010 | અપરોક્તાનુસાર |
| 43 |  |  |  | 203   | 0.063 | અપરોક્તાનુસાર |
| 44 |  |  |  | 207   | 0.079 | અપરોક્તાનુસાર |
| 45 |  |  |  | 209   | 0.022 | અપરોક્તાનુસાર |
| 46 |  |  |  | 211   | 0.038 | અપરોક્તાનુસાર |
| 47 |  |  |  | 218 સ | 0.607 | અપરોક્તાનુસાર |
| 48 |  |  |  | 230   | 0.607 | અપરોક્તાનુસાર |
| 49 |  |  |  | 231 સ | 0.253 | અપરોક્તાનુસાર |
| 50 |  |  |  | 241   | 0.281 | અપરોક્તાનુસાર |
| 51 |  |  |  | 243   | 0.032 | અપરોક્તાનુસાર |
| 52 |  |  |  | 256   | 0.022 | અપરોક્તાનુસાર |
| 53 |  |  |  | 258   | 0.077 | અપરોક્તાનુસાર |
| 54 |  |  |  | 259   | 0.004 | અપરોક્તાનુસાર |
| 55 |  |  |  | 270   | 0.059 | અપરોક્તાનુસાર |
| 56 |  |  |  | 272   | 0.031 | અપરોક્તાનુસાર |
| 57 |  |  |  | 276   | 0.139 | અપરોક્તાનુસાર |
| 58 |  |  |  | 277   | 0.026 | અપરોક્તાનુસાર |
| 59 |  |  |  | 279   | 0.076 | અપરોક્તાનુસાર |
| 60 |  |  |  | 288   | 0.038 | અપરોક્તાનુસાર |
| 61 |  |  |  | 290   | 0.063 | અપરોક્તાનુસાર |
| 62 |  |  |  | 306   | 1.085 | અપરોક્તાનુસાર |

  
 સહાયક મિનિસ્ટર (અધિકારી)  
 મહાનગર પાલિકા અધિકારી

For Kutch Properties & Infrastructure Ltd

  
 Authorized Signatory



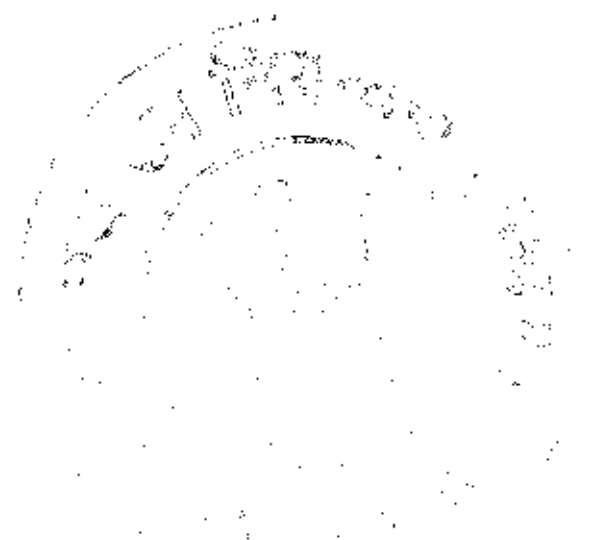


|    |  |  |  |       |       |               |
|----|--|--|--|-------|-------|---------------|
| 63 |  |  |  | 308 स | 1.426 | उपरोक्तानुसार |
| 64 |  |  |  | 310 स | 0.964 | उपरोक्तानुसार |
| 65 |  |  |  | 310 स | 0.200 | उपरोक्तानुसार |
| 66 |  |  |  | 319   | 0.002 | उपरोक्तानुसार |
| 67 |  |  |  | 323   | 0.014 | उपरोक्तानुसार |
| 68 |  |  |  | 324   | 0.078 | उपरोक्तानुसार |
| 69 |  |  |  | 332   | 0.007 | उपरोक्तानुसार |
| 70 |  |  |  | 340   | 0.006 | उपरोक्तानुसार |
| 71 |  |  |  | 341   | 0.022 | उपरोक्तानुसार |
| 72 |  |  |  | 348   | 0.012 | उपरोक्तानुसार |
| 73 |  |  |  | 349   | 0.006 | उपरोक्तानुसार |
| 74 |  |  |  | 354   | 0.004 | उपरोक्तानुसार |
| 75 |  |  |  | 358 स | 0.579 | उपरोक्तानुसार |
| 76 |  |  |  | 365   | 0.038 | उपरोक्तानुसार |
| 77 |  |  |  | 366   | 0.025 | उपरोक्तानुसार |
| 78 |  |  |  | 371   | 0.016 | उपरोक्तानुसार |
| 79 |  |  |  | 382   | 0.012 | उपरोक्तानुसार |
| 80 |  |  |  | 384   | 0.006 | उपरोक्तानुसार |
| 81 |  |  |  | 386   | 0.042 | उपरोक्तानुसार |
| 82 |  |  |  | 395   | 0.010 | उपरोक्तानुसार |
| 83 |  |  |  | 416 स | 2.339 | उपरोक्तानुसार |
| 84 |  |  |  | 417   | 4.552 | उपरोक्तानुसार |
| 85 |  |  |  | 444 स | 0.022 | उपरोक्तानुसार |
| 86 |  |  |  | 444 स | 0.029 | उपरोक्तानुसार |
| 87 |  |  |  | 446   | 0.016 | उपरोक्तानुसार |
| 88 |  |  |  | 448   | 0.010 | उपरोक्तानुसार |
| 89 |  |  |  | 451   | 0.013 | उपरोक्तानुसार |
| 90 |  |  |  | 453   | 0.020 | उपरोक्तानुसार |
| 91 |  |  |  | 456   | 0.582 | उपरोक्तानुसार |
| 92 |  |  |  | 463   | 0.016 | उपरोक्तानुसार |
| 93 |  |  |  | 467   | 0.025 | उपरोक्तानुसार |
| 94 |  |  |  | 477   | 0.013 | उपरोक्तानुसार |
| 95 |  |  |  | 478   | 0.019 | उपरोक्तानुसार |
| 96 |  |  |  | 479   | 0.013 | उपरोक्तानुसार |
| 97 |  |  |  | 482   | 0.013 | उपरोक्तानुसार |

(सं. १०० तिथरी)  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सहसंचालक (विद्युत व गैर विद्युत आपूर्ति)  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

100



|     |      |      |        |              |          |        |                                                                                                |
|-----|------|------|--------|--------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98  |      |      |        |              | 484      | 0.033  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 99  |      |      |        |              | 490      | 0.023  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 100 |      |      |        |              | 482      | 0.020  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 101 |      |      |        |              | 499      | 0.347  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 102 |      |      |        |              | 507      | 0.033  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 103 |      |      |        |              | 511      | 0.051  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 104 |      |      |        |              | 517      | 0.038  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 105 |      |      |        |              | 518      | 0.018  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 106 |      |      |        |              | 523      | 0.017  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 107 |      |      |        |              | 527      | 0.035  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 108 |      |      |        |              | 528      | 0.036  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 109 |      |      |        |              | 538      | 0.027  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 110 |      |      |        |              | 540      | 0.004  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 111 |      |      |        |              | 541      | 0.026  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 112 |      |      |        |              | 545      | 0.916  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 113 |      |      |        |              | 548      | 0.076  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 114 |      |      |        |              | 551      | 0.010  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 115 |      |      |        |              | 554      | 0.013  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 116 |      |      |        |              | 557      | 0.038  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 117 |      |      |        |              | 559      | 0.430  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 118 |      |      |        |              | 561      | 0.092  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 119 |      |      |        |              | 562      | 0.089  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 120 |      |      |        |              | 564 स    | 0.114  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 121 |      |      |        |              | 582      | 0.063  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 122 |      |      |        |              | 582 स    | 0.063  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 123 |      |      |        |              | 584 स    | 0.253  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 124 |      |      |        |              | 589      | 0.104  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 125 |      |      |        |              | 590      | 0.040  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 126 |      |      |        |              | 597      | 0.025  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 127 |      |      |        |              | 602      | 1.417  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 128 |      |      |        |              | 606      | 0.304  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
| 129 |      |      |        |              | 502/611  | 0.006  | उपरोक्तानुसार                                                                                  |
|     |      |      |        | कुल योग      | 129 गाटा | 27.805 |                                                                                                |
| 1   | लखनऊ | लखनऊ | बिजनौर | इसनपुर खेवली | 16       | 0.020  | अवारा एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देशन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टर्मिनल |

(ए० पी० सिवरी)  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Approval, Proposals & Infrastructure

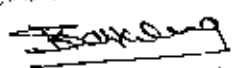
*[Signature]*  
Authorized Signatory

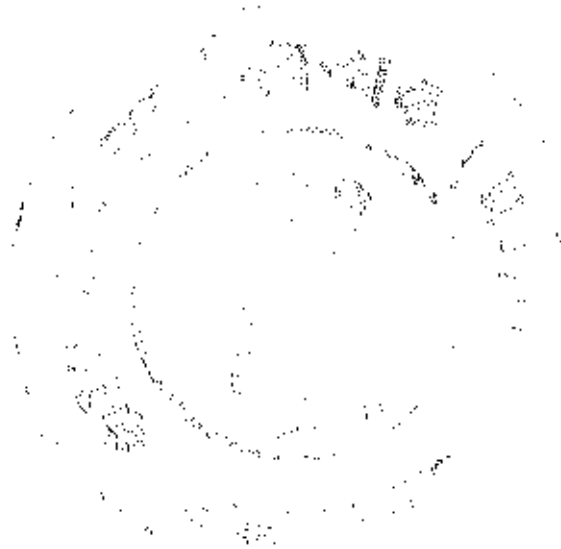


|    |  |  |  |  |       |       |               |
|----|--|--|--|--|-------|-------|---------------|
|    |  |  |  |  |       |       | हेतु ।        |
| 2  |  |  |  |  | 38 मी | 0.050 | उपरोक्तानुसार |
| 3  |  |  |  |  | 50    | 0.035 | उपरोक्तानुसार |
| 4  |  |  |  |  | 52    | 0.925 | उपरोक्तानुसार |
| 5  |  |  |  |  | 87    | 0.316 | उपरोक्तानुसार |
| 6  |  |  |  |  | 88    | 0.443 | उपरोक्तानुसार |
| 7  |  |  |  |  | 89    | 0.139 | उपरोक्तानुसार |
| 8  |  |  |  |  | 91    | 0.392 | उपरोक्तानुसार |
| 9  |  |  |  |  | 92    | 0.038 | उपरोक्तानुसार |
| 10 |  |  |  |  | 93    | 0.557 | उपरोक्तानुसार |
| 11 |  |  |  |  | 98    | 0.253 | उपरोक्तानुसार |
| 12 |  |  |  |  | 100   | 0.114 | उपरोक्तानुसार |
| 13 |  |  |  |  | 102   | 0.032 | उपरोक्तानुसार |
| 14 |  |  |  |  | 111   | 0.052 | उपरोक्तानुसार |
| 15 |  |  |  |  | 118   | 0.032 | उपरोक्तानुसार |
| 16 |  |  |  |  | 124   | 0.139 | उपरोक्तानुसार |
| 17 |  |  |  |  | 125   | 0.152 | उपरोक्तानुसार |
| 18 |  |  |  |  | 136   | 0.021 | उपरोक्तानुसार |
| 19 |  |  |  |  | 141   | 0.025 | उपरोक्तानुसार |
| 20 |  |  |  |  | 144   | 0.582 | उपरोक्तानुसार |
| 21 |  |  |  |  | 146   | 0.493 | उपरोक्तानुसार |
| 22 |  |  |  |  | 149   | 0.021 | उपरोक्तानुसार |
| 23 |  |  |  |  | 152   | 0.017 | उपरोक्तानुसार |
| 24 |  |  |  |  | 198   | 0.487 | उपरोक्तानुसार |
| 25 |  |  |  |  | 201   | 0.029 | उपरोक्तानुसार |
| 26 |  |  |  |  | 203   | 0.013 | उपरोक्तानुसार |
| 27 |  |  |  |  | 208   | 0.253 | उपरोक्तानुसार |
| 28 |  |  |  |  | 212   | 0.559 | उपरोक्तानुसार |
| 29 |  |  |  |  | 213   | 0.200 | उपरोक्तानुसार |
| 30 |  |  |  |  | 240   | 0.607 | उपरोक्तानुसार |
| 31 |  |  |  |  | 241   | 0.126 | उपरोक्तानुसार |
| 32 |  |  |  |  | 242   | 0.139 | उपरोक्तानुसार |
| 33 |  |  |  |  | 248   | 0.038 | उपरोक्तानुसार |
| 34 |  |  |  |  | 251   | 0.025 | उपरोक्तानुसार |
| 35 |  |  |  |  | 254   | 0.177 | उपरोक्तानुसार |

  
 (रि. प्र. वि. वि.)  
 सचिव  
 सख्तनगर विकास प्राधिकरण

इंजीनियरिंग, प्रशासनिक & आवासन विभाग

  
 Digitized Signature

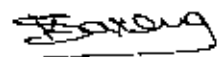


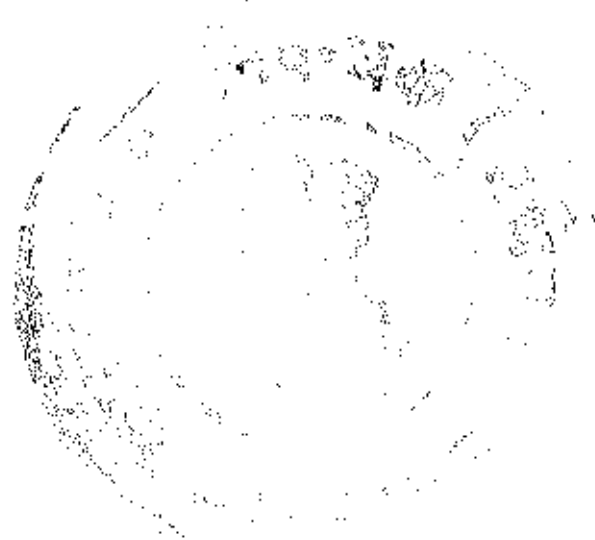
|    |      |      |        |          |         |       |                                                                                                    |
|----|------|------|--------|----------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 |      |      |        |          | 257     | 0.126 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 37 |      |      |        |          | 270     | 0.204 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 38 |      |      |        |          | 271     | 0.316 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 39 |      |      |        |          | 273 पी  | 0.748 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 40 |      |      |        |          | 274     | 0.455 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
|    |      |      |        | कुल योग  | 40 गाटा | 9.350 |                                                                                                    |
| 1  | लखनऊ | लखनऊ | बिजनौर | हरिहरपुर | 512     | 0.999 | आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियर्जन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु। |
| 2  |      |      |        |          | 513 पी  | 0.506 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 3  |      |      |        |          | 514     | 0.177 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 4  |      |      |        |          | 515     | 0.170 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 5  |      |      |        |          | 519     | 0.063 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 6  |      |      |        |          | 520     | 0.417 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 7  |      |      |        |          | 522 पी  | 0.108 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 8  |      |      |        |          | 523 पी  | 0.304 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 9  |      |      |        |          | 525     | 0.044 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 10 |      |      |        |          | 526     | 0.028 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 11 |      |      |        |          | 528     | 0.455 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 12 |      |      |        |          | 530     | 0.114 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 13 |      |      |        |          | 564     | 0.096 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 14 |      |      |        |          | 578     | 0.379 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 15 |      |      |        |          | 581     | 0.031 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 16 |      |      |        |          | 595 पी  | 0.253 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 17 |      |      |        |          | 599     | 0.089 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 18 |      |      |        |          | 611     | 0.246 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
| 19 |      |      |        |          | 618     | 1.000 | उपरोक्तानुसार                                                                                      |
|    |      |      |        | कुल योग  | 19 गाटा | 5.479 |                                                                                                    |

यह कि इस विलेख के माध्यम से पट्टे पर दी जा रही भूमि में से क्षेत्रफल 25.771 हेक्टेयर, ग्राम-देवामऊ व ग्राम-युसुफनगर बगियाभउ व ग्राम-निजामपुर मझिगंवा परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु०-35,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु०-9,01,98,500/- होता है तथा ग्राम-मुजफ्फरनगर घुसवल व ग्राम-हसनपुर खेवली परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 37.155 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार उक्त ग्राम अर्द्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु०-56,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु०-20,80,68,000/- होता है व ग्राम-हरिहरपुर परगना-बिजनौर तहसील

20/05/2024  
  
 जिला अधिकारी

Deputy Commissioner & Infrastructure Cell

  
 Digitized Signature





व जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 5.479 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु०-85,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु०-3,56,13,500/- होता है। इस प्रकार कुल मूल्यांकन रु०-33,38,80,000/- होता है। चूंकि इस विलेख में नजराने की धनराशि रु०-26,02,37,002/- (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतीस हजार दो रुपये) व 1 वर्ष का लीज रेंट रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) सहित कुल धनराशि रु०-26,07,50,043/- अदा की गयी है। अतः सर्वोच्च मूल्यांकन रु०-33,38,80,000/- पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से रु०-2,33,71,600/- का स्टाम्प शुल्क देय होता है फलस्वरूप रु०-2,33,75,000/- का स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP00109004727519L के द्वारा अदा कर दिया गया है।

इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या-1160(1)/8-3-12-122एल०ए०/09 दिनांक 01.06.2012 के माध्यम से अधिकृत श्री अष्टभुजा तिवारी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री सुशील कुमार सक्सेना बहैसियत अधिकृत हस्ताक्षरी वास्ते मेसर्स अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० ने नीचे उन दोनों के हस्ताक्षर करा दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गयी हैं।

साक्षीगण :

1. ह०

नाम समरेन्द्र प्रताप सिंह

पिता का नाम श्री-चन्द भान प्रताप सिंह

पता 13, राना प्रताप मार्ग, इज्जतगंज  
लखनऊ

  
(ए० सी० तिवारी)  
पट्टाकर्ता की ओर से 50  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
एवं उसके द्वारा अधिकृत 87  
02/01

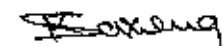
2. ह०

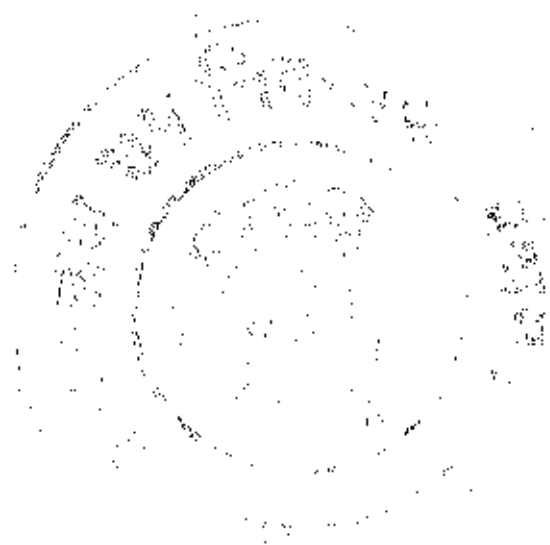
नाम Biswanath Pratap Singh

पिता का नाम Late Sri G. P. Singh

पता 13, Rana Pratap Marg  
Lucknow

श्री Ansal Properties & Infrastructures Ltd

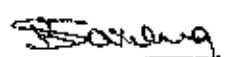
  
पट्टेदार की ओर से 50  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
एवं उसके द्वारा अधिकृत 87  
02/01

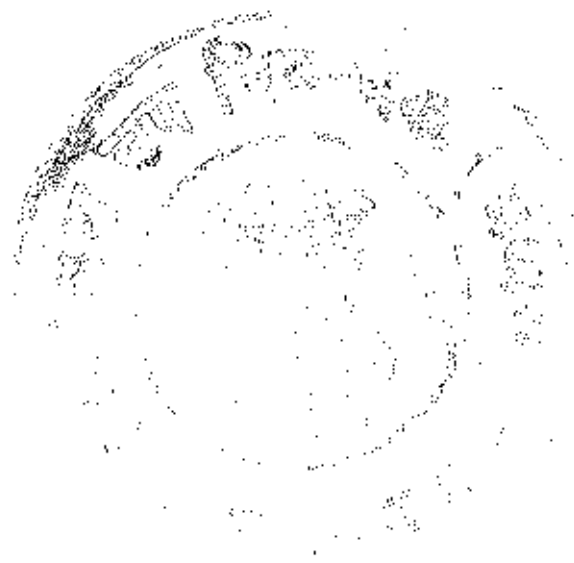




  
 ग्राम पंचायत क्षेत्र  
 ग्राम पंचायत क्षेत्र  
 ग्राम पंचायत क्षेत्र

15/1/2018  
 15/1/2018

  
 ग्राम पंचायत क्षेत्र



श्रीमद्वाङ्मय तत्त्वज्ञान पुस्तकालय

श्रीगणेशाय नमः

दीर्घायां वाच्ये अत्र वाच्ये

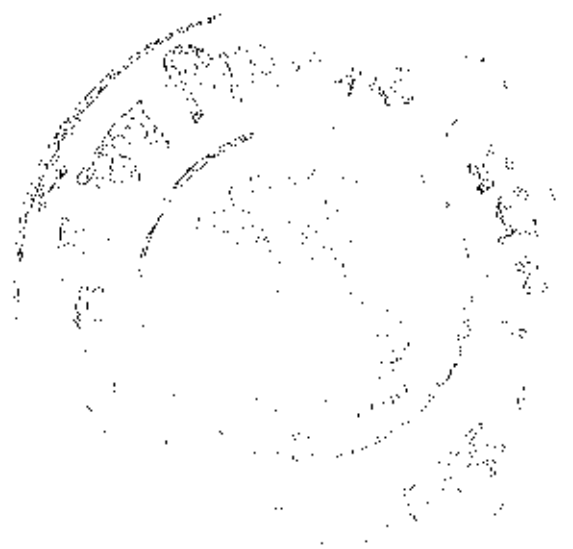
[illegible]

*[Musical notation]*

~~CONFIDENTIAL~~ ~~SECRET~~  
SECRET  
CONFIDENTIAL

550 Angus Stevenson & Christopher G.

Authorized Signator





26,07,50,043/-

पट्टा विलेख  
513,048.00

(30 वर्ष)  
40

2,000

प्रतिफल

मालिक

आगत वार्षिक किराया

फीड रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

रोग

शुल्क दर

श्री

ल० वि० प्र० द्वारा नाथन तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

पुत्र श्री

आर० एस० कटियार

जागरण नौकरी

निवासी स्थानी

ल० वि० प्र० लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखन इस कार्यालय में

दिनांक

31/7/2013

समय

3:10PM

द्वारे निष्काश हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी०सी० सिंह

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद रानदे व धनराज व धनराज रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा वारदा

पट्टा गृहीत।

श्री ल० वि० प्र० द्वारा नाथन तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

पुत्र श्री आर० एस० कटियार

पेशा नौकरी

निवासी ल० वि० प्र० लखनऊ

श्री मे०अनसू ल० ए० इन्फास, लि० द्वारा सुशील कुमार सक्सेना

पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

लिखी पत्रिका श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र श्री स्व० गंगाधर सिंह

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

व श्री रामेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र श्री चन्द्र भानु प्रताप सिंह

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्ष भद्र आक्षेपों के निमित्त अंग्रेजी निष्पादन लिखे जाते हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

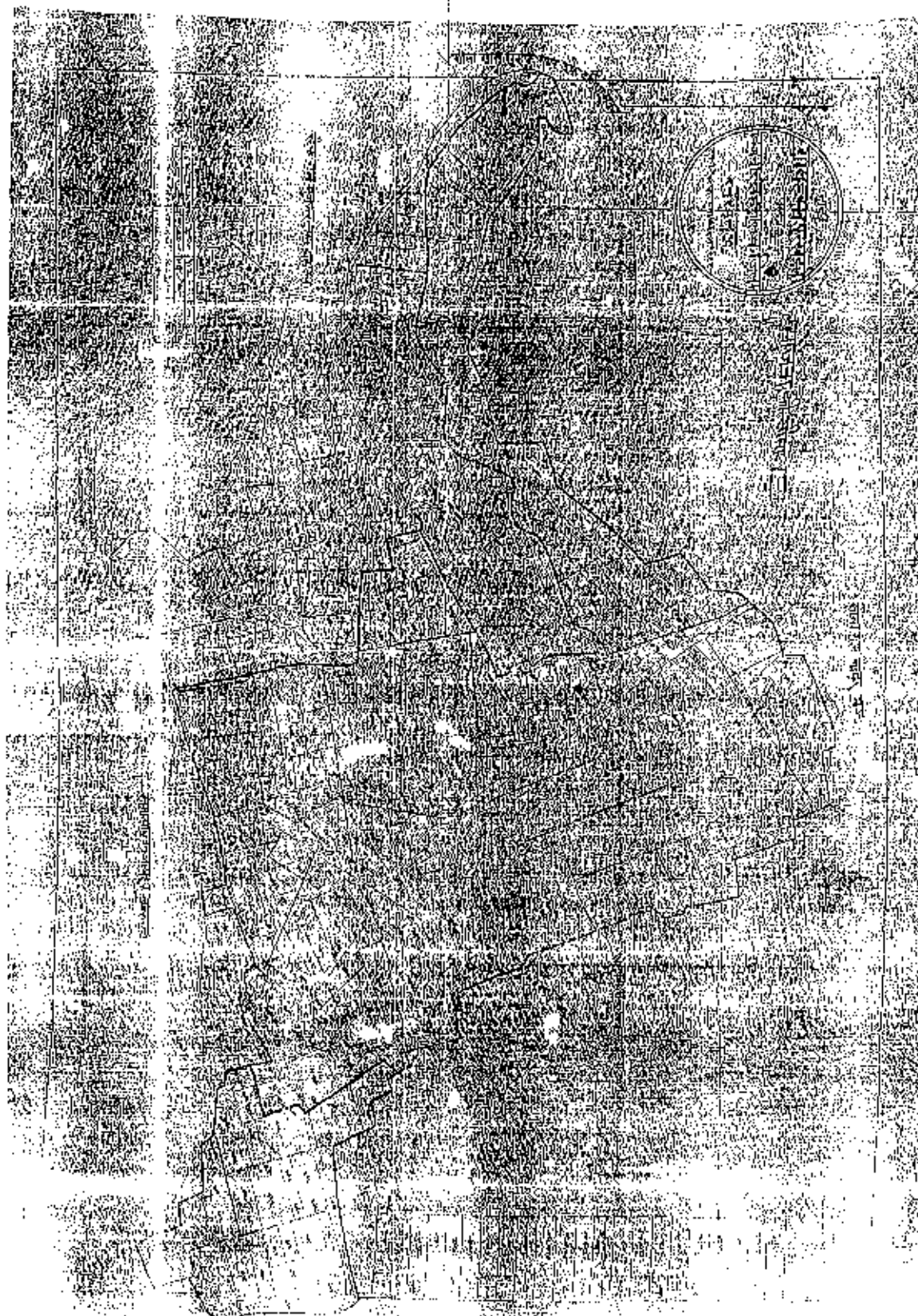
वी०सी० सिंह

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013





*[Handwritten signature]*  
[Illegible text]  
[Illegible text]

Eng. And. Properties & Infrastructure ...  
*[Handwritten signature]*  
Authorized Signatory

## पट्टा गृहीता

Registration No. : 14746

Year : 2013

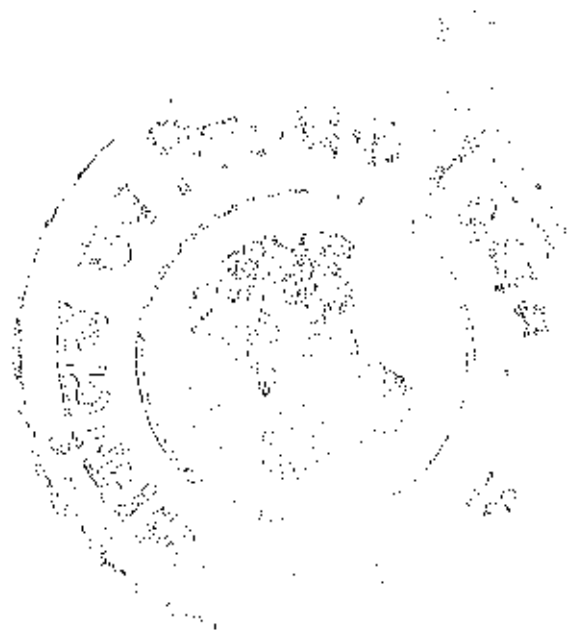
Book No. : 1

0201 मे0अन्सल प्रा0 ए0 इन्फ्राल, लि0 द्वारा सुशील कुमार सक्सेना

शिव लोपःल रावरेण

13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

नीकरी



[illegible][illegible]

የገንዘብ አቅርቦትና ኢንፍራስትሩክቸር ህገ

Exxon

authorised Signatory

~~(आचार्यजी प्रसाद विहार)~~  
मुंबई

707-689-1111

पट्टा दाता

Registration No.: 14746

Year: 2013

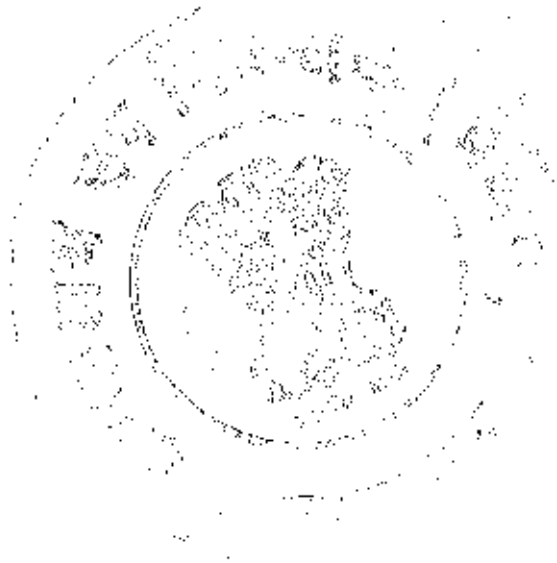
iBook No.: 1

0101 ल० वि० प्रा० द्वारा नायब तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

आर० ए० कटियार

ल० वि० प्रा० लखनऊ

नीकरी





श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

| क्र.सं. | विवरण        | मिति |
|---------|--------------|------|
| 1       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 2       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 3       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 4       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 5       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 6       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 7       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 8       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 9       | ग्राम पंचायत | ...  |
| 10      | ग्राम पंचायत | ...  |



श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

श्री बाबा नगर निवासी पंचायत

आज दिनांक 31/07/2013 को

पृष्ठ सं. 1 जिल्द सं. 16077

पृष्ठ सं. 67 से 112 पर क्रमांक 14746

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० सी० सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013

